



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)



No. 2026/E(W)/01/09/6

New Delhi, dated : As signed

**The General Managers/DGs/CAOs (P & C)
All Indian Railways, PUs & CTIs.**

Sub: Rationalization of travel entitlement in CC Class of Shatabdi Express type trains at par with that of 3-AC Class of Rajdhani/Duronto Express type trains.

Ref: Board's letter No. 2022/E(W)/01/08/1 dated 28.10.2022.

Requests have been received in Board for Rationalizing travel entitlement in CC Class of Shatabdi Express type trains at par with that of 3-AC Class of Rajdhani/Duronto Express type trains, on Privilege Pass (PP)/Post Retirement Complimentary Pass (PRCP)/Widow Pass (WP) for Railway Servants in Pay Level in Pay Matrix (PLPM) 11 to 17, as the entitlement on Duty Passes for all categories of Railway Servants already stands rationalized.

2. The matter has been examined in consultation with Commercial (PM) Dte of Railway Board and with the approval of the Competent Authority, it has been decided that for Railway Servants in PLPM 11 to 17, the entitlement for No. of seats in CC Class of Shatabdi Express type trains may be made at par with the entitlement for No. of berths in 3-AC Class of Rajdhani/Duronto Express type trains. Accordingly, in Annexure-II of Board's above referred letter, entitlement for No. of seats in CC Class of Shatabdi Express type trains for Railway employees in PLPM 11 to 17 on PP/PRCP/WP **may be read as 04, instead of 02.**

3. CRIS/PRS and CRIS/HRMS is advised to make necessary modifications in the PRS & e-Pass Module of HRMS, respectively, on immediate basis.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Digitally signed by

Rashmi Dahiya

Date: 30-07-2026

17:23:34

(Rashmi Dahiya)

Dy. Director/Estt. (Welfare)

Railway Board

Phone No. : 011-47845543

E-mail: drrashmigodara.rb@gov.in

Copy forwarded to:-

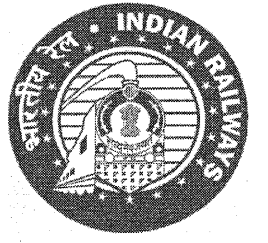
- JS/Railway Board.
- ED(MPP), Railway Board :W.r.t. e-Pass Module of HRMS.
- ED/PM, Railway Board.
- Computer Cell/C&IS, Railway Board for uploading on MoR's website for information of all concerned.

पंचम तल/5th Floor, कमरा नं./Room No.534-D, रेल भवन/Rail Bhawan

रायसीना रोड/Raisina Road, नई दिल्ली/New Delhi -110001



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)



सं. 2026/ई (डब्ल्यू) /01/09/6

नई दिल्ली, दिनांक 30.07.2026

महाप्रबंधक/महानिदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (पी एवं सी)

सभी क्षेत्रीय रेलें, उत्पादन इकाइयां एवं केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान।

विषय: शताब्दी एक्सप्रेस प्रकार ट्रेनों की CC श्रेणी में यात्रा पात्रता को राजधानी/दूरंतो एक्सप्रेस प्रकार की ट्रेनों की 3-AC श्रेणी के बराबर करना।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 28.10.2022 का पत्र संख्या 2022/E(W)/01/08/1।

पे मैट्रिक्स में पे लेवल (पीएलपीएम) 11 से 17 वाले रेल सेवकों के लिए सुविधा पास (PP)/सेवोत्तर मानार्थ पास (PRCP)/विधवा पास (WP) पर शताब्दी एक्सप्रेस प्रकार की ट्रेनों के CC श्रेणी में यात्रा पात्रता को राजधानी/ दूरंतो एक्सप्रेस प्रकार की ट्रेनों के 3-AC श्रेणी के बराबर करने के अनुरोध बोर्ड को मिले हैं, क्योंकि सभी वर्ग के रेल सेवकों की ज्यूटी पास पात्रता एक समान है।

2. मामले की जांच रेलवे बोर्ड के वाणिज्य (यात्री विपणन) निदेशालय के साथ की गई है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि पीएलपीएम 11 से 17 वाले रेल सेवकों के लिए शताब्दी एक्सप्रेस प्रकार की ट्रेनों की CC श्रेणी में सीटों की संख्या की पात्रता को राजधानी/ दूरंतो एक्सप्रेस प्रकार की ट्रेनों की 3-AC श्रेणी में बर्थों की संख्या के बराबर किया जाए। तदनुसार, बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुलग्नक-II में, पीएलपीएम 11 से 17 वाले रेल सेवकों के लिए PP/PRCP/WP पर शताब्दी एक्सप्रेस प्रकार की ट्रेनों के CC श्रेणी में सीटों की संख्या की पात्रता को 02 के बजाय 04 पढ़ा जाए।

3. क्रिस/पीआरएस और क्रिस/एचआरएमएस क्रमशः पीआरएस और एचआरएमएस के ई-पास मॉड्यूल में तत्काल आवश्यक आशोधन करेंगे।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

28/07/2026
(रश्मि देहिया)

उप निदेशक स्थापना (कल्याण)

रेलवे बोर्ड

फ़ोन नं.: 011-47845543

ई - मेल: drrashmigodara.rb@gov.in

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

- | | | |
|-------|---|--|
| (i) | संयुक्त सचिव/ रेलवे बोर्ड। | |
| (ii) | कार्यपालक निदेशक, (एम. पी. पी.), रेलवे बोर्ड। | : HRMS के ई-पास मॉड्यूल के संबंध में। |
| (iii) | कार्यपालक निदेशक (पी. एम.), रेलवे बोर्ड। | |
| (iv) | कंप्यूटर सेल/C&IS, रेलवे बोर्ड | : सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए MoR की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। |